कोटा में आवारा श्वान ने मासूम बच्ची पर हमला कर कई जगह से काटा

नयापुरा इलाके में बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी आवारा श्वान ने हमला कर दिया

- डॉग ने पहले बालिका के पैर पर काटा, फिर हाथ पर हमला किया और उसके बाद मुंह, होंठ, जबड़े और चेहरे पर गहरे जख्म कर दिए
- इसके बाद आवारा श्वान बालिका को मुंह में दबाकर खींचने लगा और ले जाने की कोशिश की
- बालिका की चीखें सुनकर पड़ौसी और परिवार वाले दौड़े आए, बालिका की बुआ ने डॉग पर डंडे से वार किया तो डॉग बालिका को छोड़कर भाग गया

कोटा, (निसं)। शहर में आवारा श्वान का आतंक एक बार फिर सामने आया है। शहर के नयापुरा इलाके में एक दो साल की मासूम बालिका पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया। बालिका मिस्टी घर के बाहर लगे नल के पास पर खेल रही थी, तभी एक आवारा श्वान आया और उस पर टूट पड़ा। डॉग के हमले में बालिका गंभीर रूप घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।

डॉग ने पहले बालिका के पैर पर काटा, फिर हाथ पर हमला किया और उसके बाद मुंह, होंठ, जबड़े और चेहरे पर गहरे जख्म कर दिए। इतना ही नहीं, डॉग बालिका को मुंह में दबाकर खींचने लगा और उसे ले जाने की कोशिश करने लगा। बालिका की चीखें सुनकर पड़ौसी और उसके परिवार वाले दौड़े आए। बालिका की बुआ ने दौड़कर डॉग पर डंडे से वार किया, जिसके बाद डॉग बालिका को छोड़कर भाग गया।

बालिका के चाचा भावेश ने बताया कि घटना के तुरंत बाद बालिका को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि डॉग के हमले में उसके चेहरे, होंठ और जबड़े पर कई जगह गहरे कट लगे हैं। अब उसकी प्लास्टिक सर्जरी करानी होगी, जिसके लिए उसे निजी अस्पताल में दिखाया जा रहा है। भावेश ने बताया कि इलाके में आवारा डॉग्स की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटे बच्चों का घर से बाहर निकलना अब मुश्किल हो गया है। गनीमत रही कि समय पर मासूम को बचा लिया गया वरना आवारा डॉग उसकी जान ले सकता था।

दो करोड़ के 6067 किलो अफीम के पौधे जब्त, दो जने गिरफ्तार

कैलादेवी थाना क्षेत्र के धौरेरा हार में सरसों के खेतों के बीच अफीम की खेती मिली

करौली/जयपुर। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा के तहत करौली जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कैलादेवी थाना क्षेत्र के धौरेरा हार में छापेमारी कर 6067 किलोग्राम अवैध अफीम के हरे पौधे बरामद कर दो जनों को गिरफ्तार किया हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन पौधों की कीमत करीब दो करोड़ रुपये आंकी गई है।

एसपी सोनवाल ने बताया कि तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक शातिर तरीका अपनाया था। आरोपियों ने अपने खेतों में ऊँची और घनी सरसों की फसल बोई थी और उसके ठीक बीचों-बीच अफीम की अवैध खेती कर रखी थी ताकि किसी को शक न हो। मुखबिर की सटीक सूचना पर जब पुलिस टीम ने खेतों के भीतर प्रवेश किया, तो वहां अफीम के पौधों का जखीरा देखकर दंग रह गई। कैलादेवी थानाधिकारी राम अवतार मीना के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चौरसिंह मीना (37) के खेत से 2955.400 किलो और मनकेश उर्फ पिन्टू मीना (32) के खेत से 3112.400 किलो अफीम के पौधे बरामद हुए। पुलिस ने 285 प्लास्टिक के कट्टों में इन पौधों को भरकर जब्त किया है। घटना में शामिल एक अन्य आरोपी घनश्याम उर्फ घासू मीना की तलाश जारी है। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने नए क्रिमिनल लॉ का पालन करते हुए ई-साक्ष्य ऐप का उपयोग किया। सर्च और जब्ती की पूरी वीडियोग्राफी क्लाउड पर अपलोड की गई ताकि साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। मौके पर नायब तहसीलदार मुनीराम मीना और हल्का पटवारी को बुलाकर राजस्व रिकॉर्ड की पुष्टि भी की गई। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इन पौधों से अफीम निकालकर कहां सप्लाई की जानी थी और इस नेटवर्क के पीछे और कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं।

भीलवाड़ा के निजी अस्पताल में इंजेक्शन से युवती की मौत

- परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर धरना शुरु किया

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के एक निजी अस्पताल में शनिवार को उस समय भारी तनाव व्याप्त हो गया, जब उपचार के दौरान एक 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गलत इंजेक्शन लगाने और इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में ही धरना शुरू कर दिया।

जानकारी के अनुसार, रेनवास निवासी रवीना (18) पुत्री भंवर बलाई को पेट दर्द की शिकायत होने पर परिजनों द्वारा निजी अस्पताल लाया गया था। परिजनों का कहना है कि भर्ती किए जाने तक रवीना की स्थिति सामान्य थी, लेकिन उपचार के दौरान जैसे ही उसे एक इंजेक्शन लगाया गया, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में युवती ने दम तोड़ दिया। युवती की मौत की खबर मिलते ही गांव से बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मृतका के आश्रितों को 50 लाख रुपये का उचित मुआवजा, संबंधित डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ मेडिकल लापरवाही का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने, अस्पताल की जांच कर लापरवाही सिद्ध होने पर उचित वैधानिक कदम उठाए जाने की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अस्पताल परिसर में बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों द्वारा परिजनों को शांत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और देर शाम तक तक शव उठाने को तैयार नहीं थे। अस्पताल प्रबंधन की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

दुष्कर्म का मामला दर्ज : उदयपुर में पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने आरोपी राकेश पुत्र वैसाराम के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। उसने बताया कि 12 फरवरी को आरोपी मुझे अपहरण कर उसके घर ले गया। जहां उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया तथा किसी को नहीं बताने की हिदायत देकर छोड़ दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच फलासिया थानाधिकारी सीताराम को सौंपी है।

कार्डियक अरेस्ट से हुई थी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, पुलिस ने 18वें दिन खुलासा किया

'साइंटिफिक जांच और इन्वेस्टिगेशन में साध्वी के शरीर में जहर नहीं पाया गया है'

- जांच में यह भी सामने आया है कि इलाज के दौरान कंपाउंडर देवी सिंह की ओर से नियमों की अनदेखी की गई, इस स्थिति में लापरवाही सामने आई
- पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि 12 फरवरी को मिली एफएसएल रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि मौत कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट से हुई थी

जोधपुर, (कासं)। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने यह खुलासा शनिवार शाम किया है। पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि मेडिकल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार साध्वी की मौत का मुख्य कारण फेफड़ों की गंभीर बीमारी के चलते आया हार्ट अटैक (कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट) था। हालांकि, जांच में यह भी सामने आया है कि इलाज के दौरान कंपाउंडर देवी सिंह की ओर से नियमों की अनदेखी की गई। इस स्थिति में लापरवाही सामने आई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 12 फरवरी को मिली एफएसएल रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि मौत शॉक के कारण हुई, जो फेफड़ों की बीमारी के परिणामस्वरूप आए कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट से हुई।

पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि साइंटिफिक जांच और इन्वेस्टिगेशन में साध्वी के शरीर में जहर नहीं पाया गया है। साथ ही किसी भी प्रकार के यौन अपराध या बाहरी व आंतरिक चोट के निशान भी शरीर पर नहीं मिले हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित एसआईटी ने इस मामले में हर स्तर पर साक्ष्य जुटाए हैं। उन्होंने बताया कि जांच दल ने अब तक 44 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही 106 लोगों की कॉल डिटेल और सोशल मीडिया एक्टिविटी का विश्लेषण किया गया है। साध्वी की मेडिकल हिस्ट्री खंगाली गई, जिसमें वे किन डॉक्टरों के संपर्क में थी और पूर्व में कौन सी दवाइयां ले रही थी, इसका पूरा ब्योरा जुटाया गया है। घटनाक्रम की सटीक टाइमलाइन तैयार करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और उस दौरान मिलने वाले लोगों के बयानों का सहारा लिया गया है। जांच में सबसे गंभीर तथ्य कंपाउंडर देवी सिंह की ओर से दिए गए इंजेक्शन को लेकर सामने आया है।

जानकारी के अनुसार जोधपुर शहर के बोरानाडा इलाके में आरती नगर स्थित आश्रम में 28 जनवरी को साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ी थी। तब उन्हें जुकाम होने और सांस लेने में परेशानी होना बताया गया था। तब इलाज के लिए कंपाउंडर देवीलाल सिंह को बुलाया गया था। कंपाउंडर देवीसिंह ने दो इंजेक्शन लगाए थे। इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद उनकी तबीयत अचानक और ज्यादा बिगड़ गई थी। परिजन उन्हें लेकर पाल रोड स्थित प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था। साध्वी के पिता वीरमनाथ हॉस्पिटल से शव को आरती नगर स्थित आश्रम ले आए थे। पुलिस की दखल के बाद देर रात को शव एमजीएच मोर्चरी में रखवाया था। इसके अगले दिन 29 जनवरी को देर शाम एमजीएच हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया था। तीस जनवरी को बाड़मेर के परेऊ गांव में साध्वी प्रेम बाईसा को समाधि दी गई थी। दो फरवरी को विसरा सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। 11 दिन में एफएसएल जांच पूरी हुई। इसके बाद रिपोर्ट गुरुवार को जोधपुर पुलिस को सौंप दी गई। पुलिस ने एफएसएल जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञों से भी राय ली।

नागौर में अवैध खनन पर कार्रवाई, दस करोड़ के वाहन व मशीनें जब्त

खींवसर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन में लिप्त नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया

जयपुर/नागौर। अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नागौर पुलिस ने खींवसर क्षेत्र में चल रहे माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में खींवसर पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रेमनगर की सरहद से करीब 10 करोड़ रुपये कीमत की मशीनें और वाहन जब्त कर खनन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया।

एसपी कच्छावा ने बताया कि पुलिस टीम ने जब प्रेमनगर और बैरावास की सीमा पर दबिश दी तो वहां अवैध खनन का बड़ा खेल चल रहा था। पुलिस ने मौके से पहाड़ों का सीना चीरने वाली चार विशालकाय चैन माउंटेड एलएनटी पोकलेन मशीनें, तीन जेसीबी, चार भारी भरकम डम्पर और तीन ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इसके अलावा माफियाओं द्वारा निगरानी में इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। 16 वाहनों को भारी जाप्ते के साथ थाने लाकर खड़ा किया गया है। वहीं पुलिस ने अवैध खनन में लिप्त नौ आरोपियों को धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी न केवल नागौर, बल्कि जोधपुर ग्रामीण, डीग, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और ब्यावर जैसे अलग-अलग जिलों के निवासी हैं, गिरफ्तार आरोपियों में राधाकिशन, मदनलाल, जलीस, विष्णु, राजमल, नेमाराम, देवराजसिंह, शंकरसिंह और सुरेश कुमार चौधरी शामिल हैं।

इस पूरी कार्यवाही को सफल बनाने में खींवसर थानाधिकारी कन्हैयालाल और डीएसटी प्रभारी मुकेश कुमार की टीम का विशेष योगदान रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी और वृत्ताधिकारी धरम पुनिया के सुपरविजन में टीम ने इतनी गोपनियता से दबिश दी कि माफियाओं को भागने का मौका तक नहीं मिला। एसपी कच्छावा ने साफ कर दिया है कि नागौर की धरती पर अवैध खनन और प्राकृतिक संसाधनों की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

14 लाख के गबन मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

- बैंक से 14 लाख से अधिक का गबन किया था, नोखा पुलिस ने पकड़ा

नोखा, (निसं)। पुलिस ने भारत फाइनेंशियल लिमिटेड बैंक से 14 लाख 28 हजार 797 रुपए के गबन के मामले में दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई डीडवाना से की गई। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।

थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि परिवादी मनीष यादव ने नोखा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि बैंक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को ऋण प्रदान करती है। बैंक के फील्ड ऑफिसर शक्ति सिंह, राकेश, मनीष यादव, कमल डेरू और दिनेश पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है।

आरोप है कि इन अधिकारियों ने 72 महिलाओं को बड़ा ऋण पास कराने का झांसा दिया। इसके बाद उन्होंने ऋण की राशि और किस्तों के पैसे सीधे महिलाओं से ले लिए, लेकिन उन्हें बैंक में जमा नहीं कराया। सत्यापन के बाद इन लोगों पर 14,28,797 रुपए के गबन का आरोप लगा। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नागौर जिले के दागड़ी खेरवा निवासी शक्ति सिंह और डीडवाना कुचामन जिले के बंधा पायतान, खिंचिया बासनी निवासी राकेश शामिल हैं। आरोपियों से पूछताछ और आगे की जांच जारी है। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक तनसुखराम, कॉन्स्टेबल सतीश कुमार और कॉन्स्टेबल खुशराज शामिल थे।

आरटीई की नई गाइडलाइन जारी, चार क्लासों में फ्री एडमिशन होगा

- 20 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे, 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी

बीकानेर, (निसं)। यहां प्राइवेट स्कूलों में पहली बार नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक यानी 4 क्लासों में राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन हो पाएगा। इसके लिए 20 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे, जबकि 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस बार नर्सरी से पहली क्लास तक यानी कुल 4 क्लास में आरटीई से फ्री एडमिशन दिया जाएगा।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय की सहायक निदेशक और आरटीई एडमिशन प्रभारी चंद्र किरण पंवार ने बताया कि नर्सरी क्लास में 3 से 4 साल तक और फर्स्ट क्लास में 6 से 7 साल तक के स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा रहा है। नर्सरी और पहली क्लास में ही एडमिशन हो पाता था। पेरेंट्स या तो नर्सरी या फिर पहली क्लास के लिए ही आवेदन कर सकते थे। इस बार शिक्षा विभाग ने इसमें बदलाव करते हुए चार क्लासों को जोड़ा है। इसके तहत नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली क्लास में एडमिशन हो पाएंगे। प्री प्राइमरी 3 प्लस यानी नर्सरी में 3 साल से अधिक और 4 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स, प्री प्राइमरी 4 प्लस यानी एलकेजी में 4 वर्ष से 5 वर्ष तक के स्टूडेंट्स, प्री प्राइमरी 5 प्लस यानी यूकेजी में 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु के स्टूडेंट्स और फर्स्ट क्लास में 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम उम्र के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकेगा। सभी प्राइवेट स्कूलों में पिछले 3 सालों में नर्सरी से फर्स्ट क्लास तक के एडमिशन की संख्या को देखा जाएगा। ये संख्या पहले से शिक्षा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है। इस संख्या के आधार पर एक एवरेज संख्या तय होगी। इसी संख्या की 25 प्रतिशत सीट पर फ्री एडमिशन दिया जाएगा। अगर इस संख्या के आधार पर एलकेजी में 10 सीट आती है और नर्सरी से प्रमोट होकर 8 स्टूडेंट्स आ गए हैं तो शेष 2 सीट पर एडमिशन होगा। इसी तरह यूकेजी में अगर कुल 10 सीट है और 5 सीट खाली है तो 5 पर एडमिशन होगा। ऐसा ही फॉमूर्ला क्लास फर्स्ट के लिए रहेगा। कई बार नर्सरी में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स एलकेजी या यूकेजी में स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूल इस खाली सीट पर फ्री एडमिशन नहीं दे पाते थे। अब ये खाली सीटें भर जाएगी, जिससे प्रदेश में फ्री एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व का "बाघ टी 2407" बन सकता है "बाघिन महक" का साथी

- प्रदेश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में बीते डेढ़ साल से अकेली है
- रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से बाघ टी 2407 को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट करने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा

प्रदेश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक।

कोटा, (निसं)। प्रदेश की सबसे उम्रदराज "बाघिन महक" कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में बीते डेढ़ साल से अकेली है, जिसके लिए साथी ढूंढा जा रहा है। यह तलाश सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में आदमखोर हो चुके तीन वर्षीय "बाघ टी 2407" पर पूरी हुई है, जिसको कोटा लाए जाने पर सहमति बनी है। इसको लेकर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) से अनुमति मांगी गई है। रणथम्भौर इस बाघ को देने के लिए तैयार है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क लेने के लिए तैयार है। दोनों के वाइल्डलाइफ वार्डन को इस संबंध में पत्र भी भेज दिया है। दोनों बाघ और बाघिन की जोड़ी बन सकती है, लेकिन ब्रीडिंग के चांस काफी कम है। यह केवल एक-दूसरे को संबल दे सकेंगे।

कोटा के उपवन संरक्षक वन्यजीव अनुराग भटनागर का कहना है कि केप्टिविटी में रखे हुए टाइगर टी 2407 के संबंध में जानकारी मिली थी। ऐसे में उन्होंने रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से इस टाइगर को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट करने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिख दिया है, जहां से एनटीसीए को पत्र भेजा गया है। एनटीसीए की परमिशन आ जाने के बाद इसे शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं रणथम्भौर टाइगर रिजर्व प्रबंधन भी इस टाइगर को शिफ्ट करने के लिए सहमत है। उन्होंने भी इस तरह का पत्र वाइल्डलाइफ वार्डन को भेजा हुआ है। इसके बाद 21 साल 5 माह की बाघिन का साथी युवा बाघ बन सकता है। अनुराग भटनागर का कहना है कि जब केप्टिविटी में टाइगर को रखना ही है तो उसे जू या बायोलॉजिकल पार्क में रखा जा सकता है। दूसरे वन्यजीव को उससे कोई परेशानी भी नहीं होगी। ऐसे में कोटा में जब बाघिन महक अकेली है तो उसको साथी भी मिल जाएगा।

अनुराग भटनागर का कहना है कि जंगल में रहने वाले बाघ की उम्र 12 से 14 साल के बीच ही रहती है जबकि केप्टिविटी में रहने वाले बाघ 16 से 18 साल तक जीते हैं, लेकिन 21 साल तक जीना, बेहतर सुविधा मिलना और अच्छा उपचार होना ही है। राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर में महक और उसकी बहन रंभा की अच्छी सेहत का राज भी यही है। उनका कहना है कि महक बीते डेढ़ साल से अकेली जरूर है, लेकिन वह पूरी तरह से मजबूत और पूरे एंक्लोजर में घूमती रहती है। वह एंक्लोजर के बाहरी एरिया में ही ज्यादा रहती है, जिससे पर्यटकों को नजर भी आती रहती है। इतनी उम्र होने के बाद भी वह अच्छी और लगभग फिट जैसी ही है। दरअसल साल 2004 में 28 अगस्त को बाघिन चंदा ने चार शावकों को जन्म दिया था। उसमें रंभा, महक, गौरी और रुद्र शामिल थे। इनमें केवल बाघिन महक ही जीवित है।

टाइगर मैन दौलत सिंह शक्तावत का कहना है कि आदमखोर होने के बावजूद भी टाइगर अपनी प्रजाति के दूसरे वन्य जीव पर हमला नहीं करता है। रिजर्व में अपनी टेरिटरी को लेकर बाघों में झगड़ा जरूर होता है। इस संघर्ष में बाघों की जान चली जाती है लेकिन अधिकांश मामलों में फाइट होने के बाद कमजोर बाघ अपनी दूसरी टेरिटरी खोजने में जुट जाता है। अपनी ही प्रजाति के दूसरे वन्य जीव पर हमला कैनिबलिज्म बोला जाता है। यह बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकांश कार्निवोरस वाइल्ड एनिमल हरबिबोर का ही शिकार करते हैं। इसीलिए आदमखोर होने के बावजूद भी टाइगर टी 2407 बाघिन महक के साथ आसानी से रह सकता है।

शक्तावत का कहना है कि बाघिन अपने जीवनकाल में तीन से चार बार शावकों को जन्म दे सकती है। शावक को जन्म देने की उम्र 12 साल के आसपास रहती है। अमूमन 12 साल के बाद बाघिन के शावक होने की संभावना काफी कम रहती है। ऐसे में बाघिन महक को एकाकीपन में मदद मिलेगी। एकाकी जीने से लाइफ स्पान कम हो जाता है। जवानी में दिखाई नहीं देता है। हालांकि उम्र होने पर संबल की जरूरत होती है सोशल बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। केप्टिविटी यानी जू व बायोलॉजिकल पार्क में रहने वाले वन्य जीव के लिए प्रे (शिकार या भोजन) की व्यवस्था राज्य सरकार करती है और इन्हें पर्यटकों से होने वाली आमदनी के अलावा राज्य सरकार से जारी होने वाले बजट के जरिए प्रे उपलब्ध करवाया जाता है। जबकि खुले जंगल में या रिजर्व में रहने वाले वन्य जीव को स्वयं प्रे की व्यवस्था करनी होती है। उनके लिए ऐसा कोई बजट नहीं होता है। ऐसे में रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में वर्तमान में टाइगर टी 2407 को केप्टिविटी में रखा गया है। बीते कई महीने से वह कैद में है, इसलिए उसके प्रे की व्यवस्था करना रिजर्व प्रबंधन की जिम्मेदारी हो गई है। इसमें काफी समस्या का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। इसी के चलते उन्होंने इसे जून में शिफ्ट करने के लिए भी पत्र लिखा है।

वन विभाग टीम पर हमला, रेंजर घायल

उदयपुर, (निसं)। वन विभाग भूमि से अतिक्रमण हटाने पर रेंजर व साथी कर्मचारियों पर अतिक्रमियों ने हमला कर दिया। हमले में रेंजर घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। जिले के पानरवा वन विभाग रेंज के रेंजर राजेश कुमार पुत्र शांतिलाल परमार निवासी सतीरामपुर सदर डूंगरपुर ने जूनीपादर निवासी मीठा पुत्र भोमा गमार, होलिया पुत्र भेमा, थावरा पुत्र अन्ना निवासी माण्डवा सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। पीड़ित ने बताया कि गत दिनों पानवा वन रेंज में आरोपियों द्वारा कब्जा करने की सूचना मिली थी। इस पर 12 फरवरी को वन विभाग अधिकारी एवं पुलिस जाब्ता ने अतिक्रमण हटाया था। इससे आक्रोषित आरोपियों ने हमला कर दिया था।

दुष्कर्म के मुख्य आरोपी सहित सहयोगी को पकड़ा

कोटा, (निसं)। ग्रामीण इलाके की पुलिस टीम ने नाबालिग से दुष्कर्म के दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि एक 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने थाने में 12 फरवरी को प्रार्थना पत्र दिया। शिकायत में कहा कि दिलसान नाम के युवक ने अप्रेल 2025 में उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को घटना के बारे में नहीं बताने को लेकर धमकी दी। शिकायत में कहा कि 12 फरवरी को जब वह उसके चाचा के घर पर थी तो दिलसान ने फोन करके उसको बुलाया और दिलसान के साथ उसका मित्र शाहरूख भी मौजूद था। दिलसान ने उसके साथ दुबारा गलत काम किया और उसका मित्र शाहरूख दूर खड़े होकर निगरानी कर रहा था। ग्रामीण एसपी ने कहा कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। सांगोद थानाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई, गठित टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये जगह-जगह दबिश दी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रूपये की इनाम राशि घोषित की गई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि सांगोद थानाधिकारी अनिल कुमार ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दिलसान को बोरखेड़ा कोटा से डिटेन किया एवं उसके सहयोगी आरोपी शाहरूख को डिटेन कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

विंग कमांडर के घर लाखों की चोरी

जोधपुर, (कासं)। एयरफोर्स एरिया में रहने वाले विंग कमाण्डर के घर से लाखों के आभूषण चोरी हो गए। इसमें उनकी तरफ से अपनी नौकरानी पर संदेह जाहिर करते हुए रिपोर्ट दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, अग्रिम जांच की जा रही है। घटना 11-12 फरवरी के बीच की है।

एयरपोर्ट थाना पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली के रोहिणी स्थित आकाश गंगा अपार्टमेंट हाल बाड़मेर एयरफोर्स स्टेशन में तैनात विंग कमाण्डर परिवेला तेजोधर का एक मकान यहां एयरफोर्स स्टेशन में आया हुआ है। दो तीन दिन पहले उन्होंने अपने घर में सूटकेस में पांच डायमंड रिंग, एक सोने की चेन, ब्रासलेट, पेडेंट व अन्य छोटे सोने के आभूषण रखे थे। बाद में वह सूटकेस को लॉक करना भूल गए। घटना के समय घर की नौकरानी वहीं पर मौजूद थी। शुक्रवार को जब सूटकेस संभाला तब आभूषण उसमें नहीं मिले। नौकरानी से भी पूछताछ की गई, मगर संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। इस पर उन्होंने एयरपोर्ट थाने में इसकी रिपोर्ट दी। फिलहाल प्रकरण दर्ज किया गया है।

डोडा-चूरा सहित आरोपी को पकड़ा : कोटा में सुल्तानपुर पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान अवैध मादक पदार्थ डोडा- चूरा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि सुल्तानपुर थानाधिकारी अंकित कुडी ने मय जाब्ता इलाके में गश्त व चैकिंग के दौरान झोटोली रोड नर्सरी के पास एक जने पर संदेह होने पर उसे रोककर डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा बरामद किया।